न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 142/2022/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक 22.06.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

पंचायत समिति अटरू जरिये विकास अधिकारी बद्रीलाल मीणा आत्मज कजोड़ी लाल मीणा निवासी अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां

.....अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल सुमन आत्मज श्री आनन्दीलाल जाति माली निवासी अटरू, तहसील अटरू जिला बारां
2. नाथूलाल आत्मज मोतीलाल जाति माली
3. कंचन बाई पुत्री मोतीलाल जाति माली निवासीगण ग्राम अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू

.....रेस्पोडेण्टस

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक –अपीलांट
श्री रूपेश श्रृंगी, अभिभाषक –रेस्पो0 क्र. 1–3
पेरोकार सरकार – रेस्पो क्र. 4

::निर्णय::

दिनांक 24.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के प्रकरण संख्या 01/2014 उनवान पंचायति समिति अटरू बनाम मोहनलाल में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022 के विरूद्ध विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रकरण में मूल कानूनी प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी

24/06/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

मोहनलाल सुमन के पक्ष में निर्णित किये जाने से तदनुसार वादी पंचायत समिति का प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 07.04.2022 से खारिज किया गया।

2. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.04.2022 से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम अटरू, तहसील अटरू जिला बारां में खसरा नम्बर 1149 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार नाथूलाल व कंचन बाई थे, जिनके द्वारा उक्त आराजी अपीलान्ट को दिनांक 28.03.1966 को पंजीकृत विकय पत्र से 1500/– रूपये में बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। जिसका इंतकाल नम्बर 586 दिनांक 10.06.1981 को अपीलान्ट के नाम तस्दीक किया गया। वक्त बेचान नाथूलाल व कंचन बाई नाबालिग होने से उक्त इंतकाल की अपील नाथूलाल व कंचन देवी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा में की गई जो दिनांक 15.03.1983 को स्वीकार फरमाई गई। इसी बीच नाथूलाल व कंचन बाई बालिग हो जाने पर उनके द्वारा उक्त आराजी पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 15.12.1983 को 40,000/– रूपये में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को बेचान कर दी जिसका इंतकाल नम्बर 692 दिनांक 31.01.1984 तस्दीक किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा के आदेश दिनांक 15.03.1983 के एक्सपार्टी सेट असाईड का अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 18.03.1986 को 100/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया गया जिसकी अप्रसन्नता से नाथूलाल व कंचन बाई द्वारा न्यायालय डिविजनल कमिश्नर कोटा में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 15.03.1988 को खारिज फरमा दी गई। जिसकी अप्रसन्नता से नाथूलाल द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 85/88 प्रस्तुत की जो दिनांक 10.02.1993 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त कर दिये। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 10.02.1993 की अप्रसन्नता से अपीलान्ट द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर में रिट संख्या 5365/93 प्रस्तुत की जो दिनांक 02.02.2005 को 2000/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार की गई। उक्त रिट के विरूद्ध मोहनलाल रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा डीबी याचिका संख्या 376/2005 प्रस्तुत की जो दिनांक 08.08.2012 को खारिज कर दी गई। यह कि विक्रय–पत्र दिनांक 15.12.1983 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश अटरू में वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद संख्या 14/84 दिनांक 30.10.2002 को खारिज फरमा दिया गया। जिसकी अपील की गई जो अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई। बाद में न्यायालय सिविल न्यायाधीश अटरू द्वारा उक्त वाद दिनांक 19.02.2008 को खारिज कर दिया गया, जिसकी अपील जिला न्यायाधीश बारां में अपील संख्या 3/2008 प्रस्तुत की जो दिनांक 25.

24/06/2025
अति. सं. आयुक्त

02.2010 को खारिज कर दी गई जिसकी अप्रसन्नता से एसबी रिट पीटिशन संख्या 364/2011 अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की जो दिनांक 18.04.2014 को खारिज फरमा दी गई, जिसके विरूद्ध की गई कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20.03.2015 को खारिज हो गई। उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 02.02.2005 की पालना में अपीलान्ट द्वारा कोस्ट की राशि अदा करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से खारिज कर कि गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलान्ट हर समय आदेश दिनांक 02.02.2005 की पालना करने को तत्पर एवं तैयार रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में सरकारी मशीनरी एवं समय–समय पर सरकारी कार्य में व्यस्त होने के कारण अपीलान्ट की कोस्ट जमा कराने में देरी रही है, जिसका समुचित कारण अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बताये जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलान्ट आज भी मय हर्जे खर्च के राशि जमा कराने को तत्पर है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अकारण ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। यह कि अपीलान्ट न्याय प्राप्ति हेतु विभिन्न न्यायालयों चाराजोही की है तथा हर समय उपस्थित होता रहा है। ऐसी स्थिति में अवसर प्रदान नहीं करने से अपीलान्ट के हक व अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ा है। इस कारण अपीलान्ट का समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.04.2022 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 02.02.2005 की पालना में अपीलान्ट द्वारा कोस्ट की राशि अदा करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना

24/06/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जबकि अपीलान्ट हर समय आदेश दिनांक 02.02.2005 की पालना करने को तत्पर एवं तैयार रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में सरकारी मशीनरी एवं समय–समय पर सरकारी कार्य में व्यस्त होने के कारण अपीलान्ट की कोस्ट जमा कराने में देरी रही है, जिसका समुचित कारण अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बताये जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलान्ट आज भी मय हर्जे खर्च के राशि जमा कराने को तत्पर है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अकारण ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलान्ट न्याय प्राप्ति हेतु विभिन्न न्यायालयों चाराजोही की है तथा हर समय उपस्थित होता रहा है। ऐसी स्थिति में अवसर प्रदान नहीं करने से अपीलान्ट के हक व अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ा है। इस कारण अपीलान्ट का समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.04.2022 निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अपीलांट के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.02.2005 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 9 वर्षों के पश्चात् 2014 में प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना नहीं की गई। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 02.02.2005 के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र 9 वर्ष विलम्ब से पेश किया जाना असाधारण विलम्ब है, जबकि अपीलांट माननीय न्यायालय में उपस्थित हुआ है। साथ ही प्रश्नगत प्रकरण में वर्ष 2005 के उपरांत अपीलांट के 9 वर्ष विलम्ब से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में अनवरत लिटिगेशन चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान पीठ जयपुर के द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं0 364/2011 पंचायत समिति अटरू बनाम मोहन लाल वगैराह में दिनांक 18.04.2014 से याचिका में उक्त विक्रय–पत्र दिनांक 28.03.1966 के संबंध में अपीलांट के द्वारा अपना पक्ष साबित नहीं किये जाने से अपील खारिज की गई। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी अपीलांट एसएलपी 28623/2014 पंचायत समिति अटरू बनाम मोहन लाल सुमन खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी के रेस्पो कब्जा सभी जगह वैध माना गया है। सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा भी रेस्पो0 का ही अधिकार एवं कब्जा माना है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में अपीलांट का कोई लोकस स्टेण्डी नहीं है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2006(2) Page No. 1141, RRD 14-09-2015 Page No. 508** पेश किये।

24/06/2025
आयुक्त

6. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति अटरू के द्वारा दिनांक 21.07.2014 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 02.02.2005 के द्वारा पंचायत समिति अटरू द्वारा क्रय की गई खसरा सं0 1149, 2 बीघा 6 बिस्वा का नामांतरकरण पंचायत समिति अटरू के पक्ष में खोलने बाबत् तथा डीबी स्पेशल रिट सं0 376/5 निर्णय दिनांक 08.08.2012 के द्वारा स्टे एप्लीकेशन नं0 2691/05 को निरस्त रखते हुए 02.02.05 के निर्णय को बरकार रखा गया है। अतः माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट के प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.07.2014 के संबंध में अपने निर्णय दिनांक 07.04.2022 में तथ्य विवेचित किये गये कि वादी/अपीलांट द्वारा सिविल मेटर पर राज0 उच्च न्यायालय की डी.बी. के निर्णय दिनांक 18.04.2014 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील सं0 28623/2014 दायर की जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। राजस्व मेटर में वादी/अपीलांट पंचायत समिति द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 10.02.1993 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील सं0 5365/1993 दायर की जिसे स्वीकार कर माननीय उच्च न्यायालय की एकल बैंच ने अपने निर्णय दिनांक 02.02.2005 से माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय को अपास्त कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के निर्णय दिनांक 18.03.1986 को बहाल रखा। माननीय उच्च न्यायालय की एकल बैंच ने अपने निर्णय में प्रतिवादी क्र–3 उपजिला कलक्टर, छबड़ा को निर्देशित किया था कि इस निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से 2 माह के अंदर वादी पंचायत समिति के 2000/– की **cost** जमा कराने पर नामांतरकरण की अपील को पुनः निर्धारित करे। वादी/अपीलांट पंचायत समिति अटरू के द्वारा उक्त निर्णय के करीब 9 वर्षों के बाद दिनांक 21.07.2014 को उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.02.2005 की पालना हेतु उपस्थित हुआ तथा इसके बाद आजदिनांक तक अर्थात् 17 वर्षों से वादी/अपीलांट द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.02.2005 की पालना में उक्त राशि 17 वर्षों तक अपीलांट द्वारा जमा नहीं कराये जाने से तथा वाद का "मूल कानूनी प्रश्न" माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो0 मोहनलाल सुमन के पक्ष में निर्णित किये जाने से तदनुसार अपीलांट का प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 07.04.2022 से खारिज किया जाना प्रकट होता है।

24/06/2025
अति. संभा. आयुक्त
कोटा

7. प्रस्तुत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के एसबी सिविल रिट पिटीशन सं0 5365/1193 में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2005 से प्रतिवादी क्र. 3 उपजिला कलक्टर, छबड़ा को पंचायत समिति अटरू के 2000/– की **cost** जमा कराने पर 2 माह के अंदर नामांतरकरण की अपील को पुनः निर्धारत करे। किंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन उपरांत अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.07.2014 में प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है, जो असाधारण विलम्ब होना प्रकट होता है। रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र का प्रश्नत माननीय सर्वोच्च में निर्णित हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 9 वर्ष के विलम्ब से अपीलांट का उपस्थित होना उचित प्रकट नहीं होता है। प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य प्रश्न रेस्पो0 के रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से संबंधित हे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.03.2015 द्वारा तय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.04.2022 में किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

24/06/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा